

05.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
प्रार्थी का मूल वादपत्र अदम हाजरी मे खारिज हो गया।
मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई
कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के
कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
मे वर्तमान स्तर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से
कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

Wang

